भारत सरकार
कर्मचारी चयन आयोग(पू.क्षे)
कार्मिक ,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग
निज़ाम पैलेस, प्रथम एमएसओ भवन(8वां तल),
234/4,एजेसी बोस रोड ,कोल-700020

सत्यमेव जयते

फ़ा सं.11/3/2015-भर्ती   दिनांक-12.01.2016

सूचना/शुद्धि पत्र

विषय: सभी समूह 'ख' अराजपत्रित और 'ग' पदों भर्ती के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर देने के लिए सरकार का निर्णय – चयन पदों के संबंध में चयन के लिए संशोधित पद्धति।

भारत सरकर ने दिनांक 01.01.2016 से सभी प्रकार के समूह 'ख' अराजपत्रित और समूह 'ग' पदों की भर्ती के लिए साक्षात्कार/ वैयक्तिक परीक्षाओ को समाप्त कर देने का निर्णय लिया है। विज्ञापन संख्या ईआर-02/2015 और ईआर-03/2015 द्वारा कर्मचारी चयन आयोग (पूर्वी क्षेत्र) द्वारा विज्ञापित कुछ प्रवर्गों के पदो के लिए चयन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गयी है, संदर्भित विज्ञापनो की सूचनाओं के विभिन्न अनुच्छेदों मुख्यत: अनुच्छेद 12ए और 12बी में उल्लिखित साक्षात्कारों/ वैयक्तिक परीक्षाओं से संबन्धित प्रावधानों को भारत सरकार के उपरोक्त निर्णय के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संशोधित किया जा रहा है। आयोग उपरोक्त विज्ञापनो द्वारा विज्ञापित पदों को भरने के लिए साक्षात्कार/ वैयक्तित्व परीक्षा के स्थान पर ऑनलाइन परीक्षा का संचालन करेगा।

2. तदनुसार, ईआर -02/2015(20 जून, 2015 को प्रकाशित) और ईआर-03/2015(22 अगस्त, 2015 को प्रकाशित) द्वारा कर्मचारी चयन आयोग(पू.क्षे.) के प्रत्येक विज्ञापन सूचनाओं को निम्नलिखित सूचना/ शुद्धि पत्र जारी किया जा रहा है:-

क्रम सं	विज्ञापन ईआर-02/2015 और ईआर 03/2015 के लिए सूचना का अनुच्छेद	प्रचलित	संशोधित
1		सूचनाओं के साक्षात्कार/ वैयक्तित्व परीक्षा के शब्दों को	"ऑनलाइन परीक्षा" पढ़ा जाए।
2.	12 ए	प्राथमिक चयन	
3.	12 ए.i	आम तौर पर इन पदों के लिए चयन साक्षात्कार/वैयक्तित्व परीक्षा/ कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाता है। केवल सामान्य निर्धारित अर्हता साक्षात्कार/ वैयक्तित्व परीक्षा/ कौशल परीक्षा का हकदार नहीं बनाता। आयोग आवेदकों के शैक्षिक अर्हताओं, शैक्षिक रेकॉर्ड , प्राप्त प्रतिशत इत्यादि के आधार पर प्राथमिक चयन कर सकते है... और फिर जो आवेदक चयनित होंगे उन्हे साक्षात्कार/ वैयक्तित्व परीक्षा देना होगा।	निम्नानुसार पढ़ा जाए- " ऑनलाइन परीक्षा के लिए अनिवार्य योग्यता में अंको के प्रतिशत के आधार पर अर्हक शर्तो को पूरा करने पर निर्धारित संख्या के उम्मीदवारों का संक्षिप्त सूची (shortlist) बनाया जाएगा। केवल निर्धारित सामान्य अर्हता को पूरा करने से उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा
4.	12ए.ii	आयोग अपने विवेकानुसार, किसी भी प्रवर्ग के पद के लिए साक्षात्कार/ वैयक्तिव परीक्षा/ कौशल परीक्षा के पहले जहां आवश्यक हो, उपयुक्त विषय में दक्षता परीक्षा के संचालन	

		का निर्णय ले सकता है या अनिवार्य योग्यता पर अंक के प्रतिशत के आधार पर आवेदको की छानबीन कर सकता है।	के हकदार नहीं होंगे।
5.	12ए.iii	आयोग अपने विवेकानुसार, उन प्रवर्गों के पदों के लिए दक्षता परीक्षा का संचालन कर सकता है जो कि उस पद के लिए निर्धारित है।	ऑनलाइन परीक्षा में अंग्रेजी भाषा / सामान्य ज्ञान/सामान्य बुद्धिमता / तर्कशक्ति / संख्यात्मक अभिरुचि और आवश्यकता पड़ने पर कुछ निश्चित विषयों पर भी प्रश्न होंगे। किन्ही विशेष पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम ऑनलाइन परीक्षा के पूर्व कर्मचारी चयन आयोग(पू॰क्षे॰) के वैबसाइट (www.sscer.org) पर अपलोड की जाएगी और ये ऑनलाइन परीक्षा के बुलावा पत्र पर भी उल्लिखित होगा।
6.	12ए iv	जब भी छानबीन परीक्षा संचालन का निर्णय लिया जाएगा उसका विस्तृत कार्यक्रम/ अनुसूची आयोग के वैबसाइट (www.sscer.org) में अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सुझाव दिया जा रहा है कि वे समय-समय पर अपने हित के लिए क्षेत्रीय वैबसाइट देखे।	
7.	12.बी	छानबीन परीक्षा	
	12.बी.i	आयोग अपने विवेकानुसार, जहां भी आवश्यक समझे , साक्षात्कार/ दक्षता परीक्षा/ वैयक्तित्व परीक्षा / कौशल परीक्षा के पहले किसी भी प्रवर्ग के पदों के लिए छानबीन परीक्षा का संचालन कर सकता है।	
8.	12बी.ii	आयोग अपने विवेकानुसार जब भी आवश्यक समझे बिना छानबीन परीक्षा के भी केवल उस पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता पर अंको के प्रतिशत के आधार पर उम्मीदवारों को संक्षिप्त सूची(shortlisting) के माध्यम से छांट सकता है।	
9.	12बी.iii	केवल वे आवेदक जो छानबीन परीक्षा में या अपने विवेकानुसार आयोग द्वारा नियत मानदंड में अर्हक होते है केवल उन्हें ही साक्षात्कार/ वैयक्तित्व परीक्षा/ दक्षता परीक्षा/ कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।	

3. विज्ञापनो के उक्त सूचना के बाकि सभी शर्त एवं निबंधन वही रहेंगे।

4. संक्षित सूची के उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा का बुलावा पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। बुलावा पत्र केवल कर्मचारी चयन आयोग(पूर्वी क्षेत्र) के वैबसाइट अर्थात **www.sscer.org** पर ऑनलाइन परीक्षा के पूर्व अपलोड कर दिया जाएगा और उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए उपरोक्त वैबसाइट से अपना बुलावा पत्र डाउनलोड करना होगा।

5. अतः, उम्मीदवारों को सुझाव दिया जा रहा है कि वे नवीनतम सूचनाओं के लिए और बुलावा पत्रों को डाउनलोड करने के लिए और अन्य सूचनाओं के लिए कर्मचारी चयन आयोग(पूर्वी क्षेत्र) के वैबसाइट www.sscer.org को देखे।

क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे)
कर्मचारी चयन आयोग(पू.क्षे)

Government of India
STAFF SELECTION COMMISSION (ER)
D/o Personnel & Training
M/o Personnel, Public Grievances & Pensions
Nizam Palace, 1st MSO Building, 8th Floor
234/4, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700020

No.11/3/2015-Rectt. Dated: 12.01.2016

NOTICE/CORRIGENDUM

Sub:- Decision of the Government to dispense with interviews for recruitment to all types of Group 'B' Non-Gazetted and Group 'C' Posts – Revised Procedures for Selection in respect of Selection Grade Posts

The Government of India has decided to dispense with Interviews/Personality Tests for recruitment to all types of Group 'B' Non-Gazetted and Group 'C' Posts w.e.f. 01.01.2016. As selection process has not commenced yet in respect of Categories of Posts advertised by SSC(ER) vide Advertisement No.ER-02/2015 and Advertisement No.ER-03/2015, the provisions relating to Interviews/Personality Tests mentioned at different Paras/Sub-Paras, especially at Para 12.A & Para 12.B of the Notices of Advertisements under question stand modified consequent upon implementation of the aforementioned decision of the Government of India. The Commission will hold Online Examination for filling up the vacancies advertised vide the aforementioned Advertisements instead of holding Interview/Personality Tests.

2. Accordingly, the following Notice/Corrigendum is issued to each of the Advertisement Notices of SSC(ER) vide ER-02/2015 (published on 20th June, 2015) and ER-03/2015 (published on 22nd August, 2015):-

Sl. No.	Para No. of the Notice for Advt. ER-02/2015 and ER-03/2015	Existing	Revised
1.		The words "Interview/Personality Test" in the Notice(s)	May be read as – "Online Examination"
2.	12.A	PRELIMINARY SELECTION	May be read as- "Prescribed number of candidates meeting the eligibility conditions will be shortlisted on the basis of percentage of marks in Essential Qualification **for Online Examination**. Mere fulfilling of minimum prescribed qualifications, etc. will not entitle candidates to be called for the Online Examination. The Online Examination will have questions on English Language/ General Knowledge/ General Intelligence/ General Awareness/
3.	12.A.i	Usually, the selection to the posts will be made on the basis of an Interview/ Personality Test/ Skill Test. Mere fulfilling of minimum prescribed qualifications etc. will not entitle a applicant to be called for the Interview/ Personality Test/ Skill Test. Commission may make a preliminary selection of applicants on the basis of their educational qualifications, academic records, percentage of marks, etc., and the applicants thus selected will be required to undergo an Interview/ Personality Test/ Skill Test.	
4.	12.A.ii	The Commission, may at its discretion, decide to hold a Proficiency Test in appropriate subject for any of the categories of posts or to make a screening of applicants on the basis of percentage of marks on the EQ, where it is felt necessary, before the applicants are called for Interview/Personality Test/ Skill Test/Proficiency Test.	
5.	12.A.iii	The Commission may at its discretion, waive holding of Proficiency Test in those categories of posts where a Proficiency Test has been prescribed.	

6.	12.A.iv	Detailed programme/schedule of such screening test, if and when decided to be held, will be posted at Commission's website (www.sscer.org). Candidates are, therefore, advised to visit the regional website from time to time in their own interest.	Reasoning/ Quantitative Aptitudes and also on the Specific Subject(s), as the case may be. The detailed syllabus for Online Examination for the particular post(s) will be uploaded on the Website of SSC(ER) i.e. www.sscer.org well before conduct of the Online Examination and the same would also be mentioned in the Call Letters for the Online Examination"
7.	12.B	SCREENING TEST	
	12.B.i	The Commission may, at its discretion decide to hold a screening test for any of the categories where it is felt necessary before Interview/Personality Test/ Proficiency Test/Skill Test.	
8.	12.B.ii	The Commission may, at its discretion, where it is felt necessary, without holding Screening Test may screen the applicants by the method of short listing on the basis of percentage of marks on the prescribed Essential Qualification for the post.	
9.	12.B.iii	Only such of the applicants who qualify in the screening test or otherwise at the standard fixed by the Commission at their discretion would be eligible for being called for the Interview/Personality Test/ Proficiency Test/Skill Test.	

3. All other terms and conditions of the said Notice of Advertisements are remained unchanged.

4. Call Letters for the Online Examination **WILL NOT BE SENT BY POST** to the shortlisted candidates. Call Letters **will be uploaded only on the Website of Staff Selection Commission (Eastern Region) i.e. www.sscer.org** well before the date of Online Examination. Candidates have to download their respective Call Letters from the aforementioned Website to appear for the Online Examination.

5. Candidates are, therefore, advised to visit frequently the Website of the SSC(ER) for the latest updates and also for downloading Call Letters and other information from the Website of SSC(ER) i.e. www.sscer.org.

Regional Director(ER)
Staff Selection Commission (ER)